

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

13 / 2024
01.10.2024

जरिये बजरंग लाल सोन्दल्या प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा टोंक

— प्रार्थी

बनाम

मै० श्री विनय कुमार जैन मैसर्स रिद्धी सिद्धी फैमेली रेस्टोरेट मालपुरा टोंक

— अप्रार्थी

जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:—

- 1- परोकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी — स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, टोंक के नैतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षकगण बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै० श्री विनय कुमार जैन मैसर्स रिद्धी सिद्धी फैमेली रेस्टोरेट मालपुरा, टोंक पहुंचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जांच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री विनय कुमार जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से भोजन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस




जिला कलेक्टर
टोंक

01	333417 S	(H.P.)	14.2	15.8	15.8	0
02	285165 T	(H.P.)	14.2	15.5	15.5	0
03	404541 S	(H.P.)	14.2	15.7	15.7	0
04	321680 P	(H.P.)	14.2	15.6	24.5	8.4
						8.4 K.G.

अतः उक्त जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.4 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 25.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, टोंक के नैतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षकगण बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै0 श्री विनय कुमार जैन मैसर्स रिद्धी सिद्धी फैमेली रेस्टोरेंट मालपुरा, टोंक पहुंचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री विनय कुमार जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से भोजन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर भोजन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.4 Kg एलपीजी गैस को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु श्रीजी भारत गैस एजेन्सी (ग्रामीण वितरक) के प्रतिनिधि श्री सुरज गुर्जर पुत्र श्री रामनारयण गुर्जर मो0 8432249395 की सपुदरगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 8.4 Kg एलपीजी को



जिला कलेक्टर
टोंक

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 25.09.2024 के अनुसार मै० श्री विनय कुमार जैन मैसर्स रिट्टी सिद्धी फैमेली रेस्टोरेट मालपुरा टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 04 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर भोजन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	333417 S	(H.P.)	14.2	15.8	15.8	0
02	285165 T	(H.P.)	14.2	15.5	15.5	0
03	404541 S	(H.P.)	14.2	15.7	15.7	0
04	321680 P	(H.P.)	14.2	15.6	24.5	8.4
						8.4 K.G.

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर होटल/दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर विनय,सूरज तथा इन्द्रपाल के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी विनय,सूरज तथा इन्द्रपाल के हस्ताक्षर हैं तथा श्री जी भारत गैस एजेन्सी ग्रामीण वितरक मालपुरा के प्रतिनिधि श्री सूरज के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से भोजन बनाने का कार्य कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का




जिला कलेक्टर
टोंक

स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 04 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 8.4 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(डॉ. सौम्या झा)

जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

